

ड्राइवर नियम तालिका

१. गाड़ियों की साफ-सफाई के लिए पूर्ण रूप से ड्राइवर जिम्मेदार होंगे न कि कंडैक्टर। दोनों मिलकर सफाई करेंगे।
२. गाड़ियों के टूल बॉक्स से कोई सामान जैसे पाना या कोई अन्य उपकरण गुम या चोरी पाया गया तो ड्राइवर जवाबदेही होंगे।
३. ड्राइवरों को आधे दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, उन्हें पूरे दिन की छुट्टी लेनी होगी।
४. बिना मंजूरी लिए व बिना छुट्टी लिए कोई भी ड्राइवर बाहर नहीं जा सकता।
५. चाय व ना'तें के लिए ड्राइवर ९:३०-१०:३० के समय में स्कूल से बाहर बिना गेटपास के जा सकते हैं अन्य किसी भी काम के लिए गेटपास अनिवार्य है।
६. ड्राइवर की लापरवाही से होने वाले गाड़ी के नुकसान या किसी अन्य दुर्घटना के जिम्मेदार ड्राइवर स्वयं होंगे और इसका फैसला मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा।
७. ग्रीष्मावका' या दीपावली अवका' जैसी स्कूल की छुट्टियों के समय सभी ड्राइवरों की बराबर-बराबर ड्यूटी होगी। यह ड्यूटी सुबह ८:३० से सांय ७:०० बजे तक होगी।

८. छुट्टियों के दौरान किसी न किसी ड्राइवर को ड्यूटी पर आना होगा तथा जरूरत पड़ने पर किसी भी ड्राइवर को कभी भी बुलाया जा सकता है और आना अनिवार्य होगा।
९. स्कूल के प्रांगण में धूम्रपान, पान, मसाला आदि वर्जित है।
१०. यदि कोई ड्राइवर अपनी ड्यूटी से अलग सांय ७ बजे से १० बजे के बीच स्कूल के कार्य से आता है तो उसे २० रुपये मिलेंगे।
११. यदि कोई ड्राइवर अपनी ड्यूटी से अलग रात १० बजे के बाद स्कूल के कार्य से आता है तो उसे ५० रुपये मिलेंगे। पूर्णतया रात होने पर १००/- छपहीज चार्ज मिलेगा।
१२. रूट पर समय का पालन करना अनिवार्य है। पहले या लेट पहुँचने पर रिपोर्ट करना व कारण लोग-बुक में लिखना जरूरी है।
१३. रूट पर ट्रैफिक नियमों का पालन करना, बच्चों को अभिभावकों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी ड्राइवर की होगी। किसी भी बच्चे का कोई भी अंग बाहर न हो इसका पूर्णतया ध्यान रखने की जिम्मेदारी ड्राइवर और कण्डेक्टर की होगी।
१४. बच्चों को चलती बस में उतारना व चढ़ाना पूर्णतया वर्जित है।
१५. प्रत्येक ड्राइवर का पूर्णतया वर्दी, नेम प्लेट, आई कार्ड में आना अनिवार्य है।
१६. ब्रेक डाउन की रिपोर्ट एक घण्टे के अंदर-अंदर सूपरवाइजर को हो जानी चाहिए और २४ घण्टे के अंदर प्रिंसीपल सर को हो जानी चाहिए।

१७. दीवाली पर प्रत्येक ड्राइवर को दो जोड़ी ड्रेस, फुल स्वैटर और एक जोड़ी जूते दिए जाएंगे जिनकी साफ-सफाई व प्रैस का पूर्णतया ध्यान रखना होगा।
१८. गाड़ी पासिंग और इं'गोरेंस की रिपोर्ट एक महीना पहले ऑफिस में देनी अनिवार्य है।
१९. लाईसैंस समय पर रिन्यू होना चाहिए। बिना रिन्यू गाड़ी चलाने से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार ड्राइवर स्वयं होंगे।
२०. ड्यूटी रूट पर बिना किसी वजह से गाड़ी रोककर बात करना या बिना किसी कारण गाड़ी सड़क के किनारे लगाना सर्वथा वर्जित है।
२१. स्टाफ के अतिरिक्त किसी अन्य बाहरी व्यक्ति को गाड़ी में बैठाना वर्जित है।
२२. बिना किसी कारण किसी भी ड्राइवर को निकालने का अधिकार एक्जीक्यूटिव कमेटी को होगा।